

आवश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग,

बिहार

**STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

पत्र संख्या -प०नि० 30-४१/2016-२७३४

प्रेषक,

दिनेश कुमार,
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक २२ जुलाई, 2021.

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन, 2021 – बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 के अधीन निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान/मतगणना दलों के गठन एवं मतदान/मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1086 दिनांक 27.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया सन्दर्भ करें। जिससे निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान/मतगणना दलों के गठन एवं मतदान/मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत निदेश दिये गये थे।

दिनांक 26.06.2021 एवं दिनांक 03.07.2021 को सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के साथ माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही क्रमशः संसूचित ज्ञापांक 2422 दिनांक 29.06.2021 एवं ज्ञापांक 2522 दिनांक 06.07.2021 द्वारा निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत हैं –

(क) पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में मतदान M2 EVM से कराये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक मतदान केन्द्र पर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चार पदों पर ई.वी.एम. से मतदान होने के कारण कम से कम चार - बी.यू. चार - सी.यू. तथा ग्राम कचहरी के दो पदों मतपत्र से मतदान होने के कारण दो मतपेटिका का उपयोग होगा, इस कारण से मतदान दल के गठन हेतु कार्मिकों की अधिक संख्या की आवश्कता होगी, इस हेतु निम्न प्रकार से कार्मिकों की व्यवस्था की जाये :-

(i) मतदान हेतु कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुरूप प्रत्येक कर्मी को विभिन्न चरणों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

(ii) मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी 1 से 5 तक रहेंगे यानि पूर्व से दो अधिक।

(iii) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चार ई.वी.एम. एवं दो मतपेटिका होने के कारण प्रत्येक दो मतदान केन्द्र पर एक 'पी.सी.सी.पी.' का गठन होगा।

(iv) इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत स्तर पर मतदान के दिन खराब ई.वी.एम. के Replacement के लिए एक 'सेक्टर मैजिस्ट्रट' के साथ एक कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी जो, EVM मास्टर ट्रेनर स्तर के कर्मी होंगे। इस सन्दर्भ में भी कार्मिकों की आवश्यकता का आकलन कर ली जाय।

(ख) जिले में कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर कार्मिकों का दो-तीन सेट बनाया जाय, जिससे कि किसी कर्मी को बार-बार मतदान कार्य में सम्मिलित न होना पड़े।

(ग) उल्लेखनीय है कि पंचायती राज व्यवस्था में पचास प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। कार्मिक अधिक लगने के कारण महिला कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाय। यथासंभव उन्हें ऐसे चिह्नित स्थानों पर लगाया जाये जहाँ आवागमन, संचार एवं अन्य आधारिक संरचना (infrastructure) आदि की सुविधा हो। यथा- प्रखण्ड मुख्यालय एवं उसके आसपास के स्थानों में लगाया जाय।

उपरोक्त संदर्भ में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 के प्रावधान पुनः उद्धृत किये जा रहे हैं:-

"125. निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र –

(1) राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का निर्वाचन कराने के लिए यथा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचरियों की सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

(2) पंचायत के निर्वाचन के संचालन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता के लिए एक या एक से अधिक जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो उप-समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो;

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन से संबंधित में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) पंचायत में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / उप-समाहर्ता से अन्यून स्तर का हो।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा।

(5) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) तथा पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) / मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) उपर्युक्त परन्तुक के अधीन ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है; या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अदिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को इसकी सूचना देगा :

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(6) यदि पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) रुग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो तो उसके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिये निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(7) किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

(8) मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निश्पादन में सहायता करें।

(9) निर्वाचन कार्य हेतु कठिपय प्राधिकारियों के कर्मियों को उपलब्ध कराया जाना –

(क) जब जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के सम्पादन हेतु कर्मचारियों को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा, तब संबंधित प्राधिकारी उन कर्मचारियों को, उस संख्या में जो निर्वाचन कर्तव्य के संपादन हेतु आवश्यक हो, निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा। निर्वाचन कर्तव्य के अन्तर्गत मतदान, मतगणना, विधि व्यवस्था के संधारण, पेट्रोलिंग, दंडाधिकारी आदि से संबंधित कर्तव्य सम्मिलित माने जाएंगे;

(ख) उप-खंड “क” के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे –

(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार,

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा –617 में परिभाषित सरकारी कंपनी

(3) कोई अन्य संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम जिसे केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है या जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रदान निधियों द्वारा पूर्णतः या आंशिक नियंत्रित किया जाता है या प्रदान किया जाता है”

उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा राज्य सरकार या सरकारी कंपनी या कोई अन्य संस्था, प्रतिष्ठान का उपक्रम जिसे केन्द्रीय प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है या जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः प्रदान निधियों द्वारा पूर्णतः या आंशिक नियंत्रण किया जाता है या वित्त प्रदान किया जाता है, का सेवक हो, को पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर, यथा – पीठासीन पदाधिकारी/मतदान अधिकारी/मतगणना कार्मिक के रूप में नियुक्त किया जाना है।

स्थानीय प्राधिकारों यथा पंचायतों / नगरपालिकाओं के कर्मियों, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों या लोक उपक्रमों के कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किये जा सकते हैं। यथाशक्य अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों को निर्वाचन कर्तव्य पर अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अधीन लोक सभा/विधान सभा चुनावों के अवसर पर जिन संस्थाओं के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, सदृश पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर किये जायेंगे।

2. पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर EPMIS सॉफ्टवेयर की उपयोग करने की सहमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से प्राप्त है। विदित है कि विगत विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम के पुरुष एवं महिला कर्मियों (स्थायी एवं संविदा) का डाटाबेस Election Personnel Management Information System (EPMIS) के तहत <https://elecon.bihar.gov.in> वेबसाईट पर संधारित है। पंचायत निर्वाचन, 2021 के लिए कार्मिक की डाटा नये सिरे से प्राप्त कर इन्ट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। बल्कि विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर संधारित कार्मिकों के डाटाबेस EPMIS के माध्यम से सत्यापन किया जाना है। सत्यापन (EPMIS) के क्रम में पूर्व से संधारित डाटाबेस में यदि कोई संशोधन प्राप्त होता है, तो उसका संशोधन नये कार्मिकों का संबंधित डाटाबेस में नये सिरे से ‘इन्ट्री’ और मृत/सेवानिवृत्त/अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित इन्ट्री का विलोपन किया जाना है।

3. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अधीन विधान सभा/संसदीय चुनावों के लिए मतदान एवं मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रैण्डम नम्बर तकनीकी (रैन्डमाइजेशन प्रक्रिया) के आधार पर किया जाता है। इस तकनीक से मतदान कर्मियों के चयन में किसी तरह का पक्षपात की संभावना नगन्य हो जाती है।

4. कार्मिकों के रैण्डमाइजेशन हेतु बंधेज -

पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कार्मिकों एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी-सह-संग्रह दल के मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्ति हेतु किए जाने वाले रैण्डमाइजेशन हेतु निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाना चाहिए :-

(1) पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी का वर्गीकरण उनके पद, रैंक एवं वेतनमान के आधार पर किया जाना चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो अन्य मतदान पदाधिकारियों से उच्चतर वेतनमान एवं श्रेणी का व्यक्ति हो। किसी भी स्थिति में वर्ग 4 के कर्मी को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाय।

(2) कार्मिक को अपने गृह एवं कर्तव्य स्थल से संबंधित प्रखण्ड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को निर्वाचन कर्तव्य पर नहीं लगाया जाय।

(3) किसी भी मतदान दल में एक ही सिरियल समूह के दो अधिकारियों नहीं रहेंगे।

(4) सिद्धान्तः मतदान दल के दो कर्मी एक ही विभाग से नहीं होंगे एवं किसी भी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी समान विभाग के नहीं होंगे।

(5) प्रत्येक मतदान दल के मतदान पदाधिकारियों का चयन रैण्डम आधार पर उपर्युक्त मामलों के अध्यधीन किया जाय।

(6) मतदान केन्द्र के लिए मतदान दल का आवंटन भी मतदान केन्द्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर किया जाय।

(7) प्रत्येक मतदान कर्मी को उसके वास्तविक मतदान केन्द्र की जानकारी मतदान केन्द्र के लिए रवाना होने के कुछ ही क्षण पूर्व दी जाय।

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर उपर्युक्त मापदंड मतदान कार्मिकों के रैण्डमाइजेशन के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसके क्रियान्वयन में कठिनाई आने पर अपर राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी के पत्रांक 267/2016 दिनांक 31.03.2016 द्वारा उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित प्रावधानों को शिथिल करने का अनुरोध किया था। उक्त पत्र में अंकित है कि 'मतदान दल के दो कर्मी एक ही विभाग से नहीं होने चाहिए' में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है जिससे मतदान दल का गठन हो सके। विभिन्न विभाग के कर्मियों की संख्या में कमी हो तो पत्र में उल्लिखित 'विभाग' को शिथिल करते हुए 'कार्यालय' तथा शिक्षा विभाग हेतु एक विद्यालय को एक कार्यालय माना जाने का संशोधन किया जा सकता है। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक 2628 दिनांक 6.4.2016 द्वारा सूचना विज्ञान केन्द्र के पत्रांक 267 दिनांक 31.03.2016 को अनुमोदित किया गया है। उक्त के आलोक में वर्तमान परिस्थिति में भी व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई की जाए।

विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर मतदान केन्द्रों की वृद्धि के कारण महिला कार्मिकों को भी मतदान केन्द्रों पर प्रतिनियुक्ति किया गया था। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था में पचास प्रतिशत पद महिलाओं के आरक्षित हैं। पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर भी महिला कर्मियों को मतदान केन्द्रों पर प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

महिला कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति उनके पदस्थापन वाले प्रखण्ड में उनके पंजीकृत वाली मतदान केन्द्र

(जहाँ के निर्वाचक हैं) को छोड़कर प्रतिनियुक्त रैण्डमाइजेशन तकनीकी से किया जाना है। उस हद तक कंडिका 4(2) शिथिल किया जाता है।

5. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायत निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कर्मियों का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार ही रैण्डम तरीके से किया जाएगा। रैण्डमाइजेशन की पूरी प्रक्रिया यथा उपलब्ध स्टाफ का नाम पता तैयार करना, उन्हें मतदान दल के रूप में क्लब करना तथा प्रत्येक मतदान दल को मतदान केन्द्र से संबद्ध करना आदि जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रेक्षक के व्यक्तिगत एवं गहन पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

6. पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चार पद का मतदान M2 इ.वी.एम. से एवं ग्राम कचहरी के दो पदों का मतदान मतपत्र द्वारा कराया जाना है। प्रत्येक जिलान्तर्गत अधिकतम दस चरणों में चुनाव कराये जायेंगे। मतदान समाप्ति के बाद अगले दिन या दूसरे दिन मतगणना प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 54 के अनुसार वहाँ कंट्रोल यूनिट में विभिन्न अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की एक सारणी बनाकर सभी डेटा की हार्ड कॉफी बना ली जाएगी तथा उस कॉफी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेकर एक गॉज लिफाफे में रख दिया जाएगा तथा उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सेक्रेट सील बन्द कर जिला पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा। उक्त सील बन्द लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई नियम 84 एवं 86 के अध्यधीन की जाएगी। मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने पर M2 इ.वी.एम. के कन्ट्रोल यूनिट को डाटामुक्त कर अन्य निर्धारित प्रखंडों को अगले चरण के मतदान में उपयोग किया जायगा।

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-84 से 86 निम्नवत उद्धृत हैं –

“नियम 84. निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा – जिला निवाचन पदाधिकारी नियम 67, 68 एवं 76(3) में निर्दिष्ट पैकेटों को आयोग द्वारा यथाविहित रीति से अभिरक्षा में रखेगा।

नियम 85. निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन तथा निरीक्षण – अभिरक्षण में रखे हुए निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन एवं निरीक्षण अध्यादेश में विहित न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा।

नियम 86. निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का विनष्टीकरण – नियम 84 में नियम 84 में निर्दिष्ट निर्वाचन अभिलेख एक वर्ष की कालावधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालावधि तक अभिरक्षा में रखे जायेंगे और तत्पश्चात आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकार द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अध्यधीन उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।”

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग का निम्न निदेश संसूचित किया जाता है:-

- (1) केन्द्र सरकार, उसके उपक्रम, राज्य सरकार एवं उसके उपक्रम के पुरुष एवं महिला कर्मियों (स्थायी एवं संविदा) का डाटा के तहत Election Personnel Management Information System (EPMIS) के तहत <https://elecon.bihar.gov.in> वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे ससमय केवल संशोधित किया जाना है।
- (2) EPMIS ऑनलाईन सॉफ्टवेयर है तथा डाटाइन्ट्री एवं संशोधन का कार्य विकेन्द्रीकृत व्यवस्था द्वारा विभागीय नोडल ऑफिसर द्वारा उनके Login एवं Password से कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जिला स्तर से प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग को उपलब्ध Login एवं Password

द्वारा कराया जाता है। इसमें प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग द्वारा ऑपरेटर रख कर उनके user id एवं Password से इन्ट्री/संशोधन कराया जाता है। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ऐण्डमाइजेशन एवं प्रतिवेदन तैयार करने में केवल तकनीकि सहायता प्रदान करते हैं। डाटा का उत्तरदायित्व विभाग का है।

- (3) निहित स्वार्थवश डाटा एन्ट्री करने वाले कर्मियों द्वारा मतदान में नियुक्ति हेतु तैयार किए गए कार्मिकों के डाटाबेस में कुछ कार्मिकों के नाम उपलब्धता के बावजूद सम्मिलित नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो सकती हैं। अतः प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग एवं जिला सूचना पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उन्हें प्राप्त करायी गयी कर्मियों की सूची में से उनके पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे कार्मिकों द्वारा किसी भी नाम को नियुक्ति हेतु कार्मिकों के डाटाबेस से अलग नहीं रखा गया है।
- (4) सर्वप्रथम मतदान और मतगणना कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता की समीक्षा कर ली जाय।

यदि कार्मिकों की उपलब्धता में कमी है तो अपने प्रमंडलीय आयुक्त से उस प्रमंडल के अन्य जिला जिसमें चुनाव नहीं हो रहा है या अगले चरण में चुनाव नहीं है या जहाँ अधिक कार्मिक उपलब्ध हैं, उन जिलों के कार्मिकों को प्रतिनियुक्त कर कार्मिकों की कमी को दूर किया जाना है।

- (5) प्रथम नियुक्ति पत्र पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अधिसूचना जारी होने के तुरत बाद प्रशिक्षण विवरणी के साथ तैयार कर कार्मिकों को तामिल कराना है। इस प्रकार बिना मतदान दल के गठन किये प्रथम नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इसे जारी करने के लिए प्रेक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- (6) प्रथम नियुक्ति पत्र में मात्र निम्नलिखित बिन्दु अंकित किए जाएंगे:-
- (क) नियुक्ति पत्र में कर्मी को आवंटित विशिष्ट क्रमांक (Unique Serial Number)
- (ख) कर्मी जिस रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उस पद का नाम (यथा पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी आदि)।
- (ग) कर्मी को दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षणों की तिथियाँ, समय एवं स्थल का विवरण।
- (7) मतदान एवं मतगणना कर्मियों का नियुक्ति पत्र एक साथ निर्गत किया जायगा, चूंकि मतदान के तुरत बाद मतगणना कराया जायगा। जिन कर्मियों को मतदान दल में लगाया जायेगा उन्हें मतगणना हेतु नहीं प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

(8) (क) मतदान कार्मिकों के लिए -


(i) मतदान कर्मी के नियुक्ति पत्र में जोनल दण्डाधिकारी, सेक्टर दण्डाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी (1, 2, 3A, 3B, 3C) एवं माईक्रो ऑफ्जर्बर ड्यूटी के रूप में चिन्हित होंगे, जो क्रमशः डाटाबेस में अंकित ऊटी Z, S, M, P, 1, 2, 3, 4, 5 एवं O के अनुसार होंगे।

(ii) प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन पदाधिकारी एवं पाँच मतदान अधिकारी होंगे।

(iii) मतदान दल में केंद्र, केंद्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम के सभी पुरुष एवं महिला (स्थायी एवं संविदा पर कार्यरत) कर्मी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है।

(iv) मतदान कर्मियों के प्रथम नियुक्ति पत्र में ही तीन प्रशिक्षण का उल्लेख करना होगा। मतगणना कर्मियों के लिए भी तीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम निर्धारित करने होंगे। मतदान एवं मतगणना कर्मियों के प्रथम नियुक्ति पत्र एक साथ निर्गत किये जायेंगे। मतदान हेतु चिह्नित कर्मियों को केवल मतदान हेतु ही चरणवार मतदान कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किये जायेंगे तथा मतगणना कर्मियों को केवल चरणवार मतगणना कार्य हेतु ही प्रनियुक्त किये जायेंगे। मतदान एवं मतगणना कर्मियों के प्रथम नियुक्ति पत्र में ही तीन प्रशिक्षण का उल्लेख होगा जिसमें दो प्रशिक्षण सभी कर्मियों के लिए प्रथम चरण के मतदान की तिथि के पूर्व कराये जाने का उल्लेख रहेगा तथा तृतीय प्रशिक्षण योगदान स्थल पर योगदान के दिन दिये जाने का उल्लेख होगा।

(v) मतदान कर्मियों (Polling Personnel) को लेपल कार्ड (Lapel card) निर्गत किया जाना अनिवार्य है, जिसपर कार्मिक का PIN अंकित होगा। पहचान पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा :-



(vi) मतदान कर्मियों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियुक्ति पत्र संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) स्तर से निर्गत होगा।

(8)(ख) द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र : मतदान दंल का द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत एन.आई.सी. द्वारा विकसीत ऑनलाइन रैण्डोमाइजेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किये जाने के उपरांत किया जायेगा।

- (i) मतदान कर्मियों का द्वितीय रैण्डोमाइजेशन कम से कम 120 प्रतिशत संशोधित डाटा से न्यूनतम 10 प्रतिशत सुरक्षित रखकर प्रथम चरण के नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की समाप्ति के उपरांत सभी चरणों हेतु तुरंत किया जायगा। इसे रैण्डोमाइजेशन द्वारा मतदान पदाधिकारी का चरण एवं प्रखंड का आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा। एक मतदान अधिकारी अधिकतम तीन चरणों में प्रतिनियुक्त किये जायेंगे।
- (ii) एक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं पाँच मतदान पदाधिकारी होंगे।
- (iii) दो प्रकार के मतदान दलों का गठन किया जायेगा - केवल पुरुष मतदान दल एवं मिश्रित मतदान दल जिसमें चार पुरुष एवं दो महिला कर्मी होंगे।
- (iv) केवल पुरुष मतदान दलों के गठन में मतदान अधिकारियों की नियुक्ति अपने पदस्थापन एवं गृह प्रखंड छोड़कर किये जायेंगे तथा कार्यालय के एक से अधिक कर्मी एक मतदान दल में नहीं होंगे। मिश्रित मतदान दल में भी पुरुष कर्मियों का रैण्डोमाइजेशन इसी आधार पर की जायेगी एवं महिला कर्मियों का नियुक्ति रैण्डोमाइजेशन तकनीक द्वारा अपने पदस्थापन प्रखंड के अंतर्गत ही किया

जायेगा। परन्तु उनके पंजीकृत मतदान केन्द्र पर नहीं होगा। इसके लिए प्रखंडवार कम से कम 25 प्रतिशत मतदान केन्द्रों को चिह्नित करना होगा जो प्रखंड मुख्यालय एवं इसके इर्द गिर्द अवस्थित हो तथा वहाँ बी.एम.एफ. (Basic Minimum Facility) उपलब्ध हो।

- (v) पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय रैण्डमाइजेशन भी पुरुष मतदान कर्मियों के शर्तों के आधार पर ही किये जायेंगे। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर में महिला कर्मी नहीं लगाये जायेंगे।
- (vi) द्वितीय नियुक्ति पत्र में चरण, प्रखंड, योगदान स्थल, तिथि एवं समय अंकित रहेगा। उक्त स्थल एवं तिथि को उन्हें तृतीय नियुक्ति पत्र प्राप्त होगी।
- (vii) द्वितीय रैण्डमाइजेशन के बाद किसी भी प्रकार का वहिष्करण (Exclusion) नहीं किया जायेगा।


(8)(ग) तृतीय नियुक्ति पत्र - चरणवार तृतीय रैण्डमाइजेशन के उपरांत ही तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत होंगे।

- (i) तृतीय रैण्डमाइजेशन द्वारा मतदान दलों का मतदान केन्द्रों से Tagging किया जायेगा। Patrolling Magistrate का Patrolling-cum-Collecting Party के साथ Tagging किया जायेगा।
- (ii) मतदान दलों एवं Patrolling Magistrate का तृतीय रैण्डमाइजेशन मतदान तिथि से 72 घंटा पूर्व किया जायेगा।

(9)(क) मतगणना कार्मिकों के लिए -

- (i) मतगणना दल हेतु मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में चिह्नित किये जायेंगे।
- (ii) प्रत्येक मतगणना दल में एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक एवं एक मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। मतपत्र के मतगणना दल में एक अतिरिक्त मतगणना सहायक की नियुक्ति की जायेगी।
- (iii) सुगमतापूर्वक मतगणना कार्य हेतु एक प्रखंड के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्रों के चार पद, जिनका मतदान इ.वी.एम. से होने हैं, उन चारों पदों के लिए चार अलग-अलग मतगणना हॉल तथा ग्राम कचहरी के दो पद, जिनका निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से होने हैं, उन दोनों पदों के लिए एक मतगणना हॉल बनायी जायेगी। जिनमें प्रत्येक प्रखंड में अवस्थित पंचायतों के अधिकतम वार्ड संख्या के आधार पर मतगणना टेबुल निर्धारित होंगे। मतगणना टेबुल के आधार पर पद विशेष के लिए मतगणना हॉल की संख्या अधिक की जा सकती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) मतगणना केन्द्र पर कमरों (हॉल) की उपलब्धता और उतने ही संख्या में सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे। इसी आधार पर मतगणना कर्मियों की गणना कर कम से कम 20 प्रतिशत सुरक्षित के साथ मतगणना की प्रथम नियुक्ति निर्गत की जाये। मतगणना हेतु अपने ही जिले के पुरुष कर्मी ही नियुक्त किये जायें।

- (iv) मतगणना कर्मियों (Counting Personnel) को लेपल कार्ड (Lapel card) निर्गत किया जाना अनिवार्य है, जिसपर कार्मिक का PIN अंकित होगा। पहचान पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा : -



- (v) मतगणना कार्मिक का प्रथम एवं द्वितीय नियुक्ति पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) स्तर से निर्गत होगा जबकि तृतीय नियुक्ति पत्र संबंधित प्रखण्ड स्तरीय निर्वाची पदाधिकारी स्तर से निर्गत होगा।

- (9) (ख) द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र : मतगणना दल का द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत एन.आई.सी. द्वारा विकरीत ऑनलाइन रैण्डोमाइजेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किये जाने के उपरांत किया जायेगा।

मतगणना कर्मियों का द्वितीय रैण्डोमाइजेशन मतदान अधिकारियों के द्वितीय रैण्डोमाइजेशन के समय ही किया जायेगा। इस रैण्डोमाइजेशन द्वारा मतगणना कर्मियों का चरण एवं प्रखण्ड का आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा-

- (i) एक मतगणना दल में एक पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक एवं एक मतगणना प्रेक्षक (माइक्रो ऑबर्जर) होंगे। मतपत्रों की गणना हेतु एक अतिरिक्त मतगणना सहायक प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। जिनकी नियुक्ति अपने पदस्थापन एवं गृह प्रखण्ड के मतगणना केन्द्र पर नहीं होगी तथा साथ ही एक कार्यालय के कर्मी नहीं होंगे।
- (ii) द्वितीय नियुक्ति पत्र में योगदान स्थल, तिथि एवं समय अंकित रहेगा। उक्त स्थल एवं तिथि को उन्हें तृतीय नियुक्ति पत्र प्राप्त होगी।
- (iii) द्वितीय रैण्डोमाइजेशन के बाद किसी भी प्रकार का वहिष्करण (Exclusion) नहीं किया जायेगा।

- (9)(ग) तृतीय नियुक्ति पत्र - चरणवार तृतीय रैण्डोमाइजेशन के उपरांत ही तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत होंगे।

- (i) मतगणना दल का मतगणना तिथि से एक दिन पूर्व तृतीय रैण्डोमाइजेशन किया जायेगा तथा तृतीय नियुक्ति पत्र मतगणना शुरू होने के एक घंटा पूर्व दिया जायेगा। इससे संबंधित एस.एम.एस. कर्मियों को नहीं भेजे जायेंगे।

- (10) मतदान केन्द्र को उपलब्ध कराए जाने वाले मतदान सामग्रियों की तैयारी मतदान की तिथि के सात दिन पूर्व कर पंजी में मतदान केन्द्रवार इसकी संख्या अंकित कर ली जाए।

- (11) मतदान सामग्रियों का वितरण जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियत स्थल जो यथाशक्य प्रखण्ड मुख्यालय होगा, पर किया जाएगा। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी सारी व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेशानुसार करेंगे। जिला स्तर से उन्हें आवश्यक सभी मतदान सामग्री, वाहन, राशि इत्यादि समय उपलब्ध करायी जाएगी।
- (12) आयोग का निदेश है कि मतदान कार्मिकों को मतदान केन्द्र पर पहुँचाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाए –
- (क) सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए – सामान्यतः मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व को मतदान कार्मिकों को तृतीय नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जायगा और उन्हें मतदान सामग्री भी उपलब्ध करा दी जायगी।

प्रखण्ड मुख्यालय सहित पूरे प्रखण्ड के कई स्थानों को 'कलस्टर' (Cluster) के रूप में चिह्नित किया जाय। 'कलस्टर' के रूप में चिह्नित किये जाने वाले स्थानों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाय कि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर 30-45 मिनट में निश्चित रूप से पहुँचा जा सके।

उक्त 'कलस्टर' पर संबद्ध मतदान केन्द्रों के मतदान कर्मियों को ठहरने की व्यवस्था की जाय ताकि इस स्थान पर मतदान दल, गश्ती-सह-संग्रहण दल के पदाधिकारी, सुरक्षित ई.वी.एम. दल तथा सुरक्षाकर्मी रात्रि विश्राम करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी ताकि रोशनी, पेयजल, शौचालय एवं उचित भुगतान के आधार पर भोजन, चाय एवं नास्ता उपलब्ध हो सके। चूँकि मतदान केन्द्र पर ई.वी.एम. का मॉक पोल करना है, इसलिए मतदान कर्मियों को मतदान के दिन Cluster से सुबह 4.00 बजे से पहले वाहनों से मतदान केन्द्रों पर निश्चित रूप से पहुँचा दिया जाये, ताकि मतदान प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय प्रातः 7.00 बजे से मतदान प्रारम्भ किया जा सके।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत स्तर पर मतदान के दिन खराब ई.वी.एम. के Replacement के लिए एक सेक्टर मैजिस्ट्रेट के साथ एक कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी जो ई.वी.एम. मार्स्टर ट्रेनर के रूप में चिह्नित कर्मी होंगे। ये मार्स्टर ट्रेनर गृह प्रखण्ड तथा पदस्थापित प्रखण्ड से भिन्न प्रखण्ड के होंगे। इनकी प्रतिनियुक्ति कार्यालय आवेदन द्वारा प्रशिक्षित कर्मियों को किया जाना चाहिए।

गश्तीदल-सह-संग्रहण पदाधिकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा चिह्नित स्थल यथा प्रखण्ड से ई.वी.एम. को लेकर इसी स्थान पर रात्रि में ठहरेंगे जहाँ पर उनके क्षेत्र के मतदान कर्मी ठहरे हैं, ताकि दोनों साथ-साथ 3.30 बजे मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान कर सकें। उक्त 'कलस्टर' पर सुरक्षित ई.वी.एम. दल सुरक्षाकर्मी के साथ ई.वी.एम. लेकर रहेंगे। इस 'कलस्टर' पर मतदान के दिन भी सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी रहेंगे तथा इससे संबद्ध मतदान केन्द्रों पर ई.वी.एम. खराब होने की स्थिति में निर्धारित अवधि में ई.वी.एम. बदलने का कार्य करेंगे। ई.वी.एम. का परिचालन सुरक्षा के साथ ही किया जायेगा।

(ख) नक्सल प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र के लिए – नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए भी मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व मतदान कार्मिकों को तृतीय नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें मतदान सामग्री भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्रखण्ड मुख्यालय सहित पूरे प्रखण्ड के कई स्थानों (Cluster) को चिह्नित किया जाय जहाँ सभी मतदान कर्मियों को ठहरने की व्यवस्था की जाय ताकि इस स्थान पर मतदान दल एवं गश्ती-सह-संग्रहण दल के पदाधिकारी, सुरक्षित ई.वी.एम. दल तथा सुरक्षाकर्मी रात्रि विश्राम करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इसकी पुरी व्यवस्था की जाएगी ताकि रोशनी, पेयजल, शौचालय एवं उचित भुगतान के आधार पर भोजन, चाय एवं नास्ता उपलब्ध हो सके। यह स्थान प्रखण्ड के ऐसे भाग में स्थापित किया जायेगा जहाँ मतदान कर्मी एवं सुरक्षाबल सुरक्षित रूप से रात्रि विश्राम कर सके एवं जिस जगह से अधिकतम दूरी वाले मतदान केन्द्र पर भी डेढ़ घंटे में पहुँचा जा सके ताकि मतदान प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय प्रातः सात बजे से मतदान प्रारम्भ किया जा सके। मतदान कर्मियों को मतदान के दिन Cluster से सुबह 4.30 बजे के पहले मतदान केन्द्रों पर पहुँचा दिया जाये। गश्तीदल-सह-संग्रहण पदाधिकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा चिह्नित स्थल यथा प्रखण्ड से ई.वी.एम. को लेकर इसी स्थान पर रात्रि में ठहरेंगे जहाँ पर उनके क्षेत्र के मतदान कर्मी ठहरे हैं। ताकि दोनों साथ-साथ सुबह के समय निकल सकें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कार्मिकों के परिचालन के लिए सुरक्षा एवं एहतियात के दृष्टिकोण से बनाये गये SOP का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

मतदान के दिन के लिए सुरक्षित ई.वी.एम. दल को सुरक्षा सहित ठहरने के लिए ‘कलस्टर’ को चिह्नित किया जाय। ‘कलस्टर’ के रूप में चिह्नित किये जाने वाले स्थानों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाय कि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर 30 मिनट में निश्चित रूप से पहुँचा जा सके। इस ‘कलस्टर’ का उपयोग मतदान के दिन सुरक्षित ई.वी.एम. को रखने के स्थान के रूप में भी किया जाना है, ताकि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर ई.वी.एम. खराब होने की स्थिति में निर्धारित अवधि में बदला जा सके। ई.वी.एम. का परिचालन सुरक्षा के साथ ही किया जायेगा।

- (13) मतदान कार्मिकों/ गश्ती-सह-संग्रह दल/ सुरक्षित ई.वी.एम. दलों का ‘कलस्टर’ के लिए प्रस्थान (Dispatch) एवं मतदान केन्द्र पर पहुँचने का प्रतिवेदन समय आयोग को प्रतिवेदित करेंगे।
- (14) सामग्री प्राप्त करने हेतु कर्मियों द्वारा योगदान देने के बाद अगर किसी मतदान दल का कोई सदस्य अनुपस्थित रह जाता है तो वैसी स्थिति में सुरक्षित कर्मियों में से उस स्थान को भरा जाए। इस स्थिति में प्रतिस्थानी कर्मी के स्वयं के एकल फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र (जो सुरक्षित रखे गए कर्मियों के लिए पूर्व से ही मुद्रित एवं तामिला किया गया होगा) पर प्रतिनियुक्ति वाले मतदान केन्द्र की संख्या, नाम एवं पता हस्तालिखित रूप में अंकित कर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहरित कर प्रदान किया जाएगा।

जिस मतदान दल के सदस्य के बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए उपस्थित नहीं रहने के कारण सुरक्षित मतदान दल के सदस्य को भेजना पड़े, उस मतदान दल के अनुपस्थित सदस्य के विरुद्ध तत्क्षण निलंबन हेतु अनुशंसा करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 130 (12) के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को अविलंब ई-मेल द्वारा भेजी जाए। मतदान हेतु सुरक्षित दलों में से किसी दल की मतदान केन्द्र में प्रतिनियुक्ति किए जाने पर उस दल के मतदान कर्मी के नियुक्ति पत्र पर संबंधित प्रखण्ड के मतदान दलों को डिसपैच करने हेतु

निर्धारित पदाधिकारी द्वारा उस मतदान केन्द्र पर दिए जाने वाले निर्वाचन सामग्रियों को हस्तालिखित रूप से अंकित किया जाएगा।

- (15) मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दल के पीठासीन पदाधिकारी, गश्ती सह ई.वी.एम. संग्रहण दण्डाधिकारी के साथ संग्रहण स्थल (वज्रगृह) पर आएंगे। मतदान दल के शेष कर्मी मतदान केन्द्र से ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की गई व्यवस्था के अधीन वापस लौट जाएंगे।
- (16) प्रमंडलीय आयुक्तगण अपने स्तर से उपर्युक्त निदेश को सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा एवं संबंधित जिला से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

7. उपर्युक्त विषय के संबंध में यदि किसी तरह के पृच्छा/‘Clarification’ की आवश्यकता हो तो आयोग के श्री दिनेश कमार, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार से उनके दूरभाष संख्या 0612-2506994 (कार्यालय)/ 9431436032 (मोबाईल) पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

22/3121
उप सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-41/2016- २७३५

पटना, दिनांक - २२.७.२१

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3121
उप सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-41/2016- २७३५

पटना, दिनांक - २२.७.२१

प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3121
उप सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-41/2016- २७३५

पटना, दिनांक - २२.७.२१

प्रतिलिपि प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार सिंह, उप महानिदेशक-सह-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. (बिहार ईकाई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3121
उप सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-41/2016- २७३५

पटना, दिनांक - २२.७.२१

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

22/3121
उप सचिव।